

राजस्थान उच्च न्यायालय
जोधपुर

समूह 'क'

(1) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 8568/2024

शलेन्द्र कुमार यादव पुत्र श्री मूलचंद यादव, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी वीपीओ बनाड़, तहसील व जिला कोटपूतली, जिला जयपुर।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, जरिये सचिव, घूघरा घाटी, अजमेर
4. प्रियांशी यादव (रोल नंबर 203768) पुत्री श्री अरविंद यादव, निवासी मकान नंबर 107, फ्लैट नंबर 103, विश्वेशरिया नगर, त्रिवेणी चौराहे के पास, राधा स्वामी सत्संग पार्क के सामने, जयपुर- 302005
5. वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री केशराम गुर्जर, निवासी ग्राम व पोस्ट बड़ागांव, तहसील नन्दौती, जिला करौली-322216
6. श्री अभिजीत पुरोहित (रोल नंबर 204010) पुत्र श्री डॉ. राजा पुरोहित, निवासी प्रयाग भवन, लाडजी के बेर के सामने, खांडा फलसा, जोधपुर

-----उत्तरदाता

संबंधित

(2) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14022/2024

1. वीरेंद्र सिंह पुत्र श्री गोविंद सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी ओलागढ़, खेरी, रादान सीकर राजस्थान, रोल नंबर 203384
2. किरण कुमारी खीचड़ सी/ओ मुकेश हरितवाल, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 9 हरितवालों की ढाणी, ढींगपुर, सीकर राजस्थान, रोल नंबर 203573
3. अनुज कुमार पुत्र श्री राम निवास, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी धींगी चूरू, धींगी राजस्थान, रोल नंबर 201076
4. अमित कुमार लवानिया पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सी.76, राजेंद्र प्रसाद नगर, बदर वास, वार्ड नंबर 19, जयपुर राजस्थान, रोल नंबर 203410
5. यश भार्गव पुत्र श्री डॉ. संदीप भार्गव, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 1262/3, ए- डींग गली, कच्ची सड़क, मथुरा, उत्तर-प्रदेश, रोल नंबर 202687
6. राहुल कुमार शर्मा पुत्र श्री सतीश कुमार शर्मा, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी सिंचाई विभाग के सामने, कमला कॉलोनी, धौलपुर, राजस्थान, रोल नंबर 200605
7. पुनीत जैन पुत्र श्री पारस कुमार जैन, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी सी-79-80, मालवीय नगर, अलवर, राजस्थान, रोल नंबर 203200
8. अभिषेक कुमार पांडे पुत्र श्री मनोज कुमार पांडे, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4, शक्ति नगर पुरानी, आबादी, गंगानगर, राजस्थान, रोल नंबर 201337
9. अशोक कुमार चौधरी पुत्र श्री खुमा राम चौधरी, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी गंग गोंग जालोर, राजस्थान, रोल नंबर 204157
10. अरविंद बेनीवाल पुत्र श्री अमृत सिंह बेनीवाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

- मंडावरा, हिंडौन सिटी, करौली, राजस्थान, रोल नंबर 200631
11. पवन कुमार कटेवा पुत्र श्री चंद सिंह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी अलीपुर, झुंझुनू, राजस्थान, रोल नंबर 203053
 12. अमित कुमार पुत्र श्री अशोक कुमार, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ओंडेला रोड, धौलपुर, धौलपुर, राजस्थान, रोल नंबर 200600
 13. मानवेन्द्र सिंह पुत्र भवान सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी बेलारा, कलां, भरतपुर राजस्थान, रोल नंबर 200504
 14. करमवीर चौधरी पुत्र श्री रामनिवास चौधरी, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी दुराना, झुंझुनू, राजस्थान, रोल नंबर 203036
 15. पंकज बेनीवाल पुत्र श्री नेमीचंद बेनीवाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम कुआ स्टैंड, रघुनाथपुरा, डेरवाला, झुंझुनू, राजस्थान, रोल नंबर 202795
 16. कार्तिका नगर पुत्री अमर लाल, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी बी7, रोड नंबर 1, कृष्णा नगर, पुलिस लाइन, नयापुरा, कोटा राजस्थान, रोल नंबर 204532
 17. राजवीर सिंह पुत्र श्री हरि नारायण जाट, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी 117, गांधी चौक, ग्राम बोबाड़ी द- जमवा रामगढ़, जयपुर, वीटीसी-बोबारी, उप जिला जमवारामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान, रोल नंबर 203320
 18. मनस्विनी शर्मा पुत्री रघुवीर शर्मा, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी एन-एच, चोमू कालू का बास कॉलोनी, गोविंदगढ़, जयपुर राजस्थान, रोल नंबर 203369
 19. लीलाधर पुत्र लाल चंद, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 26, गली नंबर 3, सूर्य नगर, हनुमानगढ़, टाउन 8 एसएसडब्ल्यू, कोहलान, हनुमानगढ़, राजस्थान, रोल नंबर 201290
 20. अनुराग पुत्र श्री रामअवतार, उम्र लगभग 34 वर्ष, नवलगढ़ रोड, किसान

- कॉलोनी, सीकर, राजस्थान, रोल नंबर 203622
21. आसिफ मोहम्मद पुत्र असफाक मोहम्मद, उम्र लगभग 40 वर्ष, निवासी 2-सी-56, हाउसिंग बोर्ड सेंथी, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, रोल नंबर 204552
 22. विनोद यादव पुत्र श्री शिवराम यादव, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर-19, भोमका की ढाणी, चोमू, त्रिपोलिया चोमू, जयपुर, राजस्थान, रोल नंबर 203297
 23. सोनिया डामोर पुत्री यतीश बामनिया, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी ग्राम मालवासा, पोस्ट सांगोद, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान, रोल नंबर 205059
 24. कोमल खीचड़ पत्नी नीरज पेरीवाल, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ए-206, वाटिका एन्क्लेव, जयपुर रोड, बीकानेर, पीओ बीकानेर, जिला बीकानेर, राजस्थान, रोल नंबर 202872
 25. आयुष पारीक पुत्र नरेश शर्मा, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी गली नंबर 5, वंदे मातरम चौक के पास, राधाकिशनपुरा, वीटीसी- राधा किशनपुरा (ग्रामीण) डाकघर सीकर, उप जिला सीकर, राजस्थान, रोल नंबर 203680
 26. सुनीता कुमारी पत्नी विशाल कुमार, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी घोड़ीवारा कलां, झुंझुनू, राजस्थान, रोल नंबर 203070
 27. रोहित कुमार तिवारी पुत्र रामअवतार शर्मा, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी सबदावली, तहसील बसवा, जिला दौसा, राजस्थान, रोल नंबर 203411

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)
2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, जरिये सचिव, घूघरा घाटी, अजमेर

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

4. ताराचंद पुत्र श्री नारायण राम, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी ग्राम बाजियासर, पोस्ट कितलसर, तहसील डेगाना, जिला नागौर, राजस्थान।
5. संतोष पुत्री श्री गणेश राम, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम खोखरा तहसील सोजत जिला पाली, राजस्थान।
6. मृणाल वर्मा पुत्र श्री योगेश्वर, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी आई-ई-22, न्यू हाउसिंग रोड, खोड़ा गणेश जी रोड, मदनगंज, किशनगढ़, जिला अजमेर, राजस्थान।
7. सचिन पाटीदार पुत्र श्री मनोज कुमार पाटीदार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी मुकाम, पोस्ट डोवरा, तहसील इंगरपुर, जिला इंगरपुर, राजस्थान।
8. हिमांशु सैनी पुत्र श्री आनंद सैनी, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी गोइंका स्कूल के पास, वार्ड नंबर 59, तहसील चूरू, जिला चूरू, राजस्थान।
9. जयनु परमार पुत्री श्री राजेश परमार, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वीपीओ महुवाल, पोस्ट सरेरा, तहसील खेरवाड़ा, जिला उदयपुर, राजस्थान।

-----उत्तरदाता

(3) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14868/2024

1. अमर सिंह सैनी पुत्र श्री बाबू लाल सैनी, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी 700, ढाणी शेराला, तहसील खेतड़ी, ग्राम बाबई, जिला झुझुनू
2. कपिल कुमार गोदारा पुत्र श्री नंद लाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

नंबर 10, गांव व पोस्ट ढाढण, सीकर

3. हितेश कुमार पुत्र श्री तारा चंद पूनिया, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी
वीपीओ नुआ, पूनिया मार्केट नुआ, जिला झुंझुनू
4. राज कुमार सारण पुत्र श्री सुखा राम सारण, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी
गांव व पोस्ट दाउदसर, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू
5. कमल किशोर जाखड़ पुत्र श्री मंगा राम जाखड़, उम्र लगभग 35 वर्ष,
निवासी वार्ड नंबर 07, हनुमान नगर, खिवताना, पोस्ट डोटीना, तहसील
डेगाना, जिला नागौर
6. धर्मवीर सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 39 वर्ष, निवासी ग्राम
बडकी ढाणी, पोस्ट व तहसील गुढागौडजी, जिला झुंझुनू
7. विकास कुमार पुत्र श्री शिशुपाल सिंह, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी वीपीओ
कसेरू, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू
8. पूजा निम्बर पुत्री श्री सीताराम निम्बर, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी 964,
संखवास, डाकघर संखवास, जिला नागौर-341028 नागौर

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय,
जयपुर (राजस्थान)

2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, जरिये सचिव, घूघरा घाटी, अजमेर
4. तारा चंद पुत्र श्री नारायण राम जन्मतिथि - 11.06.1993 पंजीकरण संख्या-आरएसवीसी/5751/2020, पता-गांव बजियासर, पोस्ट-कितलसर, तहसील-डेगाना, जिला नागौर, (राजस्थान) पिन-341503
5. संतोष पुत्री श्री गणेश राम जन्म तिथि - 01.07.1994 पंजीकरण संख्या - आरएसवीसी/5730/2020, पता - ग्राम खोखरा, तहसील - सोजत, जिला पाली, (राजस्थान) पिन 306306
6. मृणाल वर्मा पुत्र श्री योगेश्वर जन्मतिथि -05.03.1996 पंजीकरण संख्या- आरएसवीसी/5798/2020, पता - आई-ई-22, न्यू हाउसिंग बोर्ड, खोड़ा गणेश जी रोड, मदनगंग किशनगढ़, जिला- अजमेर, (राजस्थान) पिन- 305801
7. सचिन पाटीदार पुत्र श्री मनोज कुमार पाटीदार जन्म तिथि 15.11.1995 पंजीकरण संख्या- आरएसवीसी/5818/2021, पता मुकाम, पोस्ट- डोवरा, तहसील- डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राजस्थान) पिन- 314036
8. हिमांशु सैनी पुत्र श्री आनंद सैनी जन्मतिथि - 07.05.1995 पंजीकरण संख्या- आरएसवीसी /5692/2020, पता- गोइनका स्कूल के पास, वार्ड संख्या 59, तहसील- चूरू, जिला - चूरू (राजस्थान) पिन- 331001

9. जयनु परमार पुत्री श्री राजेश परमार जन्मतिथि - 09.05.1996 पंजीकरण संख्या - आरएसवीसी/5693/2020, पता - वीपीओ - महुवाल, पोस्ट - सरेरा, तहसील - खेरवाड़ा, जिला - उदयपुर (राजस्थान) पिन - 313804
10. गिरीश जोशी पुत्र श्री जीतेन्द्र कुमार जोशी, निवासी प्लॉट नंबर 80, नालंदा विहार, महारानी फार्म, दुगापुरा, जयपुर जिला जयपुर (राज.)

----उत्तरदाता

(4) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14887/2024

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 243-244, माधव नगर, दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के सामने, दुर्गापुरा जयपुर, राजस्थान।
2. हिमांशु राज सिंह चुंवावत पुत्र श्री महिपाल सिंह चुंडावत, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी ग्राम गारा एकलिंग जी, तहसील आसपुर, ग्राम पंचायत खेड़ा आसपुर, इंगरपुर।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, जरिये सचिव, घूघरा घाटी, अजमेर

----उत्तरदाता

(5) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17266/2024

1. दुर्गा राम पुत्र खेमा राम, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी नैनों की स्कूल, सियालो की ढाणी, ग्राम रायचंदपुरा, पोस्ट - भोजासर, तहसील - बायतु, जिला बाड़मेर। (रोल नंबर - 204099).
2. प्रवीण पंवार पुत्र किशोर कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, निवासी 18 ई 225, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, आईसीआईसीआई बैंक के पीछे, जोधपुर, जिला जोधपुर। (रोल नंबर - 204097).
3. संजीव कुमार पुत्र सुरेंद्र कुमार, उम्र लगभग 37 वर्ष, निवासी वी/पी-कुमावास, तहसील-नवलगढ़, जिला झुंझुनू। (रोल नंबर - 203065).
4. मुकेश कुमार पुत्र भूप सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी मकान नंबर 1581, सेक्टर-20, पार्ट-2, एचएसवीपी, सिरसा, जिला सिरसा, हरियाणा। (रोल नंबर - 200023)।
5. सुनील कुमार पुत्र राम नारायण, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी गुगुरवालों का मौहल्ला, चुवा, डेगाना, जिला नागौर। (रोल नंबर- 200023).

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये प्रमुख सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

2. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. राजस्थान लोक सेवा आयोग, जरिये सचिव घूघरा घाटी, अजमेर ।
4. प्रियांशी यादव पुत्री श्री अरविंद यादव, (रोल नंबर 203768) निवासी मकान नंबर 107, फ्लैट नंबर 103, विश्वेशरिया नगर, त्रिवेणी चौराहा के पास, राधा स्वामी सत्संग पार्क के सामने, जयपुर - 3020005 (मोबाइल 9462941309)
5. वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री केशाराम गुर्जर, निवासी ग्राम पोस्ट बड़ागांव, तहसील नांदौती, जिला करौली - 322216 (मोबाइल 8107428186)।
6. श्री अभिजीत पुरोहित पुत्र श्री डॉ. राजा पुरोहित, (रोल नं. 204010) निवासी प्रयाग भवन, लाडजी के निकटवर्ती इलाका केंद्र, खांडा फलसा, जोधपुर (मोबाइल 9660134102)।

-----उत्तरदाता

समूह 'ख'

(6) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 3965/2024

डॉ. अभिजीत पुरोहित पुत्र डॉ. राजा पुरोहित, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 17 ई/732, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राज.)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, जरिये सचिव, अजमेर ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, जरिये सचिव , पता- ए विंग, दूसरी मंजिल, ऑरुस्ट क्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली।
4. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास), जरिये रजिस्ट्रार , विजय भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्कल के पास, बीकानेर।
5. अरावली पशु चिकित्सा महाविद्यालय, जरिये प्राचार्य , एनएच 52, बाजोर जिला सीकर।

----उत्तरदाता

(7) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17934/2023

1. डॉ. पुष्पेंद्र चावला खटीक पुत्र पीरू लाल चावला खटीक, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वीपीओ दौलतगढ़, तहसील आसींद, जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. डॉ. बल राम मीना पुत्र टीका राम मीना, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी वीपीओ समलेटी, तहसील महवा, जिला दौसा (राजस्थान)।
3. डॉ. राहुल मौर्य पुत्र सुरेश कुमार मौर्य, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम जोधपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर (राज.)
4. डॉ. कैशव कुमार बैरवा पुत्र बनवारी लाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मीना

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

कॉलोनी, डिफेंस स्कूल के पास, सवाई माधोपुर (राज.)

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, ए-विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, अपने सचिव के माध्यम से।
4. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजूवास), पता: विजय भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर, जरिये कुलसचिव ।
5. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर जरिये प्राचार्य
6. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानिया, वल्लभ नगर, उदयपुर, जरिये प्राचार्य ।
7. पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान (पीजीआई), एनएच-11, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर, जरिये डीन एवं अध्यक्ष
8. अरावली पशु चिकित्सा महाविद्यालय, एनएच-52, बाजोर, जिला सीकर, जरिये प्राचार्य ।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

----उत्तरदाता

(8) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18234/2023

1. डॉ. अरविंद पुत्र श्री सुभाष ढाका, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 3, नर्सिंग कॉलोनी, हाई कोर्ट कॉलोनी के सामने, रातानाडा, जोधपुर (राज.)- 342001.
2. डॉ. गजेन्द्र सिंह पुत्र श्री समन्द्र सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी ग्राम मेलावास, पोस्ट मुसालिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)- 306103।
3. डॉ. योगेश डोकवाल पुत्र श्री कैलाश शर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी क्लॉक टावर के पास, मारु स्ट्रीट, वार्ड नंबर 30, सीकर (राजस्थान)- 332001।
4. डॉ. कपिल कुमार शर्मा पुत्र श्री नोरंग लाल शर्मा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी नेहरू नगर, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़ (राज.)
5. डॉ. हरेंद्र सिंह राजोरिया पुत्र श्री सुभाष चंद, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ मटोर, तहसील मुंडावर, जिला अलवर (राज.)-301404।
6. डॉ. नूपुर पांडे पुत्री श्री ओम प्रकाश पांडे, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी सी-181, अग्रसेन नगर, चूरू (राज.)- 331001।
7. डॉ. वर्षा चौधरी पुत्री श्री रमेश चंद, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 80 फीट

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

- रोड, वार्ड नंबर 20, गंगा कॉलोनी, खेरलीगंज, अलवर (राज.)- 321606।
8. डॉ. कुसुम मेघवाल पुत्री श्री नारायण लाल मेघवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष,
निवासी मकान नंबर 413, सिंघटवाड़ा, जावर माइंस, उदयपुर (राज.)-
313901।
9. डॉ. कोमल चंदेल पुत्री श्री लालचंद चंदेल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी
247/30, शिव कॉलोनी, बाई जी की कोठी, झालाना इंगरी, जयपुर (राज.)-
302004।
10. डॉ. लक्ष्मी यादव पुत्री श्री जय प्रकाश यादव, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी
माजरी खुर्द, तहसील नीमराणा, जिला अलवर (राज.)-301703।
11. डॉ. निकिता पुत्री श्री प्रीतम सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी जेजूसर,
तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राज.)- 333707।
12. डॉ. दशरथ खेमादा पुत्र श्री भंवर लाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी
हरसोलाव, तहसील मेरात शहर, जिला नागौर (राज.)- 331022।
13. डॉ. पुष्पेन्द्र ननोमा पुत्र श्री मनोहर लाल ननोमा, उम्र लगभग 26 वर्ष,
निवासी तलैया, तहसील बिछीवाड़ा, जिला इंगरपुर (राज.)- 314801।
14. डॉ. अविनाश अटल पुत्र श्री दया राम अटल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी
एफ-17, अम्बेडकर नगर, अलवर (राज.)- 301001।
15. डॉ. अंकित शर्मा पुत्र श्री गोपाल लाल शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी

- डॉ. गोटवाल हाउस के पीछे, अंबा कॉलोनी, कुचामन सिटी (राज.)
16. डॉ. श्वेता शर्मा पुत्री श्री राधे श्याम शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी श्री गोविंद नगर, नदी का फाटक, मुरलीपुरा, जयपुर (राज.) 302039।
17. डॉ. प्रियंका पहाड़िया पुत्री श्री राम प्रताप पहाड़िया, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 21-ए, चंद्र नगर गुजर घाटी आमेर रोड, जयपुर (राज.)- 302002।
18. डॉ. सौरभ शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी बैंक ऑफ बड़ौदा स्ट्रीट, शांति कुंज कॉलोनी, अकलेरा, झालावाड़ (राज.)- 346033।
19. डॉ. हेमन्त कुमार फागना पुत्र श्री महेश चंद, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी अजबपुरा, तहसील थानागाजी, अलवर (राज.)- 301024।
20. डॉ. मीनू टोडवाल पुत्री श्री नरेन्द्र कुमार टोडवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी पी.नं. 155, अर्जुन नगर, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर (राज.) – 302018।
21. डॉ. करण सिंह गुर्जर पुत्र श्री दर्शन सिंह गुर्जर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वी एवं पी पावटा, तहसील महवा, जिला दौसा (राज.)- 321612।
22. डॉ. मयंक शर्मा पुत्र श्री विश्वनाथ शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गोकुल भवन, संतर रोड, धौलपुर (राज.)- 328001।
23. डॉ. मृगांका करवा पुत्री श्री राम गोपाल करवा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी

- ग्राम करवा का बास, तहसील मोजमाबाद, जिला दूदू (राज.)-303604।
24. डॉ. योगेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष,
निवासी खंडेलवाल धर्मशाला के पास, बड़ा बाजार, बसवा, दौसा (राज.)-
303327।
25. डॉ. अक्षिता मालव पुत्री श्री रघुनंदन मालव, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी
19, आनंद विहार, वार्ड नंबर 02, आदर्श नगर, कोटा रोड, बारां (राज.)-
325205।
26. डॉ. कोशल कुमार मीना पुत्र श्री गंगा सहाय मीना, उम्र लगभग 27 वर्ष,
निवासी ग्राम मोहनपुरा, पोस्ट चुड़ियावास, तहसील नांगल, जिला दौसा
(राज.)- 303505।
27. डॉ. ममता गुर्जर पुत्री श्री रमेश चंद गुर्जर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी
पिचानी, कोटपूतली, जयपुर (राज.)
28. डॉ. करण सिंह बैरवा पुत्र श्री रामस्वरूप बैरवा, उम्र लगभग 27 वर्ष,
निवासी ग्राम अनियाला, पोस्ट मलारना चौर, तहसील मलारना इंगर, जिला
सवाई माधोपुर (राज.)-322030।
29. डॉ. निक्की चौधरी पुत्री श्री सही राम बेनीवाल, उम्र लगभग 25 वर्ष,
निवासी ग्राम पुरा की ढाणी, पोस्ट डेरवाला, जिला झुंझुनू (राज.)-333001।
30. डॉ. चंद्र कंवर चावारा पुत्री श्री लाल सिंह चावारा, उम्र लगभग 27 वर्ष,

निवासी ज्ञान सदन, श्री राम मंदिर के पास, पुराना औद्योगिक क्षेत्र, रानी
बाजार, जिला बीकानेर (राज.)- 334001।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, ए-विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास), विजय
भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर, जरिये कुलसचिव
5. स्नातकोत्तर पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (पीजीआई),
एनएच-11, आगरा रोड, जामडोली, जयपुर, जरिये डीन एवं अध्यक्ष ।

-----उत्तरदाता

(9) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18538/2023

1. डॉ. जयेश धोराल पुत्र श्री रिडमल राम, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी करोला,
तहसील सांचौर, जिला सांचौर (राज.)।
2. डॉ. भावना भारद्वाज पुत्री श्री महेंद्र सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी

- पंजाबी मोहल्ला, नई सड़क, डीग, भरतपुर (राज.)।
3. डॉ. सुनीता कंवर पुत्री श्री अनोप सिंह राठौड़, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी पाबूसर, तहसील रतनगढ़, जिला चूरू (राज.)।
 4. डॉ. ताराचंद खटीक पुत्र श्री रामस्वरूप खटीक, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वीपीओ बोराड़ा, सरवर, जिला अजमेर (राज.)।
 5. डॉ. शैलेन्द्र सिंह बंसीवाल पुत्र श्री भूर सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी मिल्कीपुरा, ढिंढोरा, सूरौठ, जिला करौली (राज.)।
 6. डॉ. गजेन्द्र सिंह गुर्जर पुत्र श्री धर्म सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी न्योथा, तहसील नदबई, जिला भरतपुर (राज.)।
 7. डॉ. गौरव सिसौदिया पुत्र श्री देवनारायण सिसौदिया, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी झूंठा, रायपुर, पाली (राज.)।
 8. डॉ. विकास मीना पुत्र श्री मोहन लाल मीना, उम्र लगभग 24 वर्ष, निवासी ग्राम बंजरिया, तहसील व पोस्ट खेरवाड़ा, उदयपुर (राज.)।
 9. डॉ. विमला चौधरी पुत्री श्री रामलाल चौधरी, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गेनाणियों का तला, खुमे की बेरी, दूदू दोरीमन्ना (राज.)।
 10. डॉ. मधु मीना पुत्री श्री तेजराम मीना, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी कटकड़, हिण्डौन सिटी, करौली (राज.)।
 11. डॉ. माणक राम पुत्र श्री भूण्डाराम, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी मेघवालों

- का बास, बिलावास, सोजत सिटी, जिला पाली (राज.)।
12. डॉ. रमेश वर्मा पुत्र श्री सीताराम वर्मा, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी सी-17, दधीचि नगर, रोड नंबर 5, वीकेआई, जयपुर (राज.)।
13. डॉ. प्रियंका मसार पुत्री श्री जीतमल मसार, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी वी एवं पी पानासिचूटी, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा (राज.)।
14. डॉ. रितिका व्यास पुत्री श्री सतीश प्रकाश शर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी 01, शास्त्री नगर, चित्तौड़गढ़ (राज.)।
15. डॉ. आकांक्षा माथुर पुत्री श्री धर्मेन्द्र कुमार माथुर, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी 48, विश्वकर्मा नगर, 80 फीट लिंक रोड, बजरंग नगर के पास, कोटा (राज.)।
16. डॉ. सूर्यप्रकाश चौहान पुत्र श्री बलदेव राज चौहान, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी गणेश चौक, सोजत सिटी, पाली (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, ए-विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन,

- भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजूवास), विजय भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर, जरिये कुलसचिव ।
5. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, नवानिया, वल्लभ नगर, उदयपुर, जरिये प्राचार्य ।
6. अरावली पशु चिकित्सा महाविद्यालय, एनएच-52, बाजोर, जिला सीकर, जरिये प्राचार्य ।

----उत्तरदाता

(10) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 18553/2023

1. डॉ. फूल कंवर पुत्री श्री जमात सिंह सोढा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी सरकारी के पास। सीनियर सेकेंड. विद्यालय, पूगल, जिला बीकानेर (राज.)
2. डॉ. मीनू शर्मा पुत्री श्री मूलचंद शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 68, सुंदर नगर, रेलवे स्टेशन सांगानेर के सामने, जयपुर (राजस्थान)
3. डॉ. पूजा गुर्जर पुत्री श्री राजधर सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ए-64, शिव विहार कॉलोनी, खातीपुरा, जयपुर (राज.)
4. डॉ. पूजा मीना पुत्री श्री राम सिंह मीना, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी प्लॉट

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

- नंबर 86, देव नगर, सांवली रोड, सीकर (राज.)
5. डॉ. बृजभूषण तिवारी पुत्र श्री रमेश चंद शर्मा, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा, सपोटरा, जिला करोली (राजस्थान)
 6. डॉ. शैलजा पुत्री श्री रवीन्द्र कुमार सिंह, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी सेंट्रल कॉलोनी, रोड नंबर 9, वीकेआई, जयपुर (राज.)
 7. डॉ. चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री रामलाल, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम गंगापुरा, पोस्ट खोटिया, तहसील रामगढ शेखावाटी, जिला सीकर (राज.)
 8. डॉ. दिनेश कुमार मीना पुत्र श्री रामहेत मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी जावली का बाढ़, बसवा, दौसा (राज.)
 9. डॉ. चैन सिंह पुत्र श्री अनेक सिंह, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी भरतपुर (राज.)
 10. डॉ. तृप्ति भाटिया पुत्री श्री पुरुषोत्तम भाटिया, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, बीकानेर (राज.)
 11. डॉ. सावित्री सिहाग पुत्री श्री तोलाराम सिहाग, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी मकान नंबर 34, गली नंबर 8, अंबेडकर कॉलोनी, पुरानी शिव बाड़ी रोड, बीकानेर (राज.)
 12. डॉ. कीर्तिका पंवार पुत्री श्री प्रकाश चंद पंवार, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 4, रतनगढ़, जिला चूरू (राज.)

13. डॉ. यतीन्द्र सिंह सेंगर पुत्र श्री घनश्याम सिंह सेंगर, उम्र लगभग 25 वर्ष,
निवासी सेंगर सदन, शुभ लक्ष्मी नगर, गंगापुर सिटी (राज.)
14. डॉ. विश्वेन्द्र मीना पुत्र श्री रामअवतार मीना, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी
01, बाघ का पुरा, वागला मीना, करौली (राज.)
15. डॉ. सतवीर मोखरिया पुत्र श्री दयानंद मोखरिया, उम्र लगभग 28 वर्ष,
निवासी धायलो का बास, कारी, नवलगढ़, झुंझुनू (राज.)
16. डॉ. सरोज कटारा पुत्री श्री हरीश चन्द्र कटारा, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी
सीमलवाड़ा, जिला झुंझुनू (राज.)
17. डॉ. दर्पण मीना पुत्र श्री बसंती लाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी गातोड़,
सराड़ा, उदयपुर (राज.)

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार,
सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, ए-विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन,
भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास), विजय

- भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर, जरिये कुलसचिव
5. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर, जरिये प्राचार्य

----उत्तरदाता

(11) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 19567/2023

डॉ. शीतल चौधरी पुत्री श्री रामरतन चौधरी, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी ग्राम/नगर 73 बृज बावरी, लालसागर, वार्ड नंबर 75, जोधपुर (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, ए-विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास), विजय भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर, जरिये कुलसचिव
5. पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय, बीकानेर, जरिये प्राचार्य के

----उत्तरदाता

(12) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 180/2024

1. डॉ. कमलेश पुत्र श्री नारायण राम, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी 190, नाकोड़ा नगर, वार्ड नं. 3, जिला जोधपुर (राज.)।
2. डॉ. दिलीप सिंह पुत्र श्री हिंदू सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी गाँव केतुकलां, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर (राज.)।
3. डॉ. दिलकुशमीना पुत्र श्री रामबिलासमीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी राजकीय माध्यमिक विद्यालय के पास, कूंडला, जिला बारां (राज.)।
4. डॉ. मोहम्मद इब्राहिम पुत्र श्री नबाब खान, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम-चाडवा उर्फ झाडवा, पोस्ट गागरिया, तहसील रामसर, जिला-बाड़मेर (राज.)
5. डॉ. महिपाल सिंह जैतावत पुत्र श्री देवी सिंह, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम-केलवाड, तहसील सोजत, जिला पाली (राज.)।
6. डॉ. विजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामपाल शर्मा, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम-कल्याणपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर (राज.)।
7. डॉ. भावना कंवर पुत्री श्री समदर सिंह, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम-मैलावास, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली (राज.)।
8. डॉ. कमलेश कुमार मीना पुत्र श्री सुरेश चंद, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 3-जी-53, महावीर नगरविस्तार। जिला कोटा (राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, पता - विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. कामधेनु विश्वविद्यालय, बी-1 विंग, चतुर्थ तल, ब्लॉक 1, कर्मयोगी भवन, सेक्टर 10 ए, गांधीनगर, गुजरात, जरिये रजिस्ट्रार ।
5. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, एम्पायर स्क्वायर के पास, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर, मध्य प्रदेश, जरिये रजिस्ट्रार के ।

----उत्तरदाता

(13) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 678/2024

1. डॉ. रोहित सांखला पुत्र श्री चिन्ना राम सांखला, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 123, शांति प्रिया नगर विस्तार, थार ड्राई पोर्ट के पास, जिला जोधपुर (राजस्थान)।
2. डॉ. मुकेश कुमार पुत्र श्री पुरख सिंह, उम्र लगभग 30 वर्ष, निवासी वीपीओ कालूडी, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर (राज.)।

3. डॉ. डालू राम मीना पुत्र श्री भोरी लाल मीना, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी ग्राम बिराजपुरा, पोस्ट टोडाभाटा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर (राज.)।
4. सुनीता रोलानिया पुत्री श्री मोहन लाल, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 14, गिदावाला, श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राज.)।

-----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, पता - विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. कामधेनु विश्वविद्यालय, बी-1 विंग, चतुर्थ तल, ब्लॉक 1, कर्मयोगी भवन, सेक्टर 10 ए, गांधीनगर, गुजरात, जरिये रजिस्ट्रार ।
5. नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, एम्पायर स्क्वायर के पास, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर, मध्य प्रदेश, जरिये रजिस्ट्रार के ।

-----उत्तरदाता

(14) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 750/2024

1. डॉ. भारत बंधु पुत्र श्री देवा राम मेघवाल, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी

- वीपीओ मनोरा, वाया जावाल, जिला सिरौही (राज.)।
2. डॉ. सुभाष चंदर पुत्र श्री चुन्नी लाल, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 19, बस स्टैंड के पास, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)।
 3. डॉ. ममता लक्ष्मी पुत्री श्री महेंद्र कुमार, उम्र लगभग 28 वर्ष, निवासी 10/42 मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर (राज.)।
 4. डॉ.रामेश्वर मीना पुत्र श्री बृजमोहन मीना, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी ग्राम- कांकरदा, पो. सारोला कलां, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ (राज.)।
 5. डॉ. निशा यादव पुत्री श्री सूबे सिंह यादव, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी मकान नं. 1285, ग्राम सागा, बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)।
 6. डॉ. दीपक कुमार शर्मा पुत्र श्री राधे श्याम शर्मा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी कुशल-पुरा, बांसा, तहसील चौमू, जिला जयपुर (राज.)।
 7. डॉ. कविता कुमारी पुत्री श्री ओम प्रकाश, उम्र लगभग 31 वर्ष, निवासी बिरोल, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू (राज.)।
 8. डॉ. सुन्दर लाल मौर्य पुत्र श्री कालू राम मौर्य, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम-पापरा कलां, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू (राज.)।
 9. डॉ. गौरव भारद्वाज पुत्र श्री राजेश भारद्वाज, उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी 31/32, बालाजी विहार, चावंड की मांड, रामगढ़ रोड, साईपुरा, जयपुर

(राज.)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, ए-विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजुवास), विजय भवन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल के पास, बीकानेर, जरिये कुलसचिव ।

----उत्तरदाता

(15) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2193/2024

डॉ. मोहित दायमा पुत्र श्री मोहन लाल दायमा, उम्र लगभग 26 वर्ष, निवासी प्लॉट नंबर 02 कृष्णा विहार सी मांग्यावास रोड रजत पथ मानसरोवर जयपुर राजस्थान।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, ए-विंग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, बिहार।

----उत्तरदाता

(16) एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5816/2024

मुकेश राजपुरोहित पुत्र श्री पुखराज सिंह राजपुरोहित, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट-कलूदी, तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर (रा.)- 344 022.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, जरिये सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर ।
2. राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर, जरिये सचिव ।
3. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, एड-विंग, द्वितीय तल, अगस्तक्रांति भवन, भीखाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, जरिये सचिव ।
4. आनंद कृषि विश्वविद्यालय, आनंद- 388110, गुजरात, भारत- जरिये रजिस्ट्रार।

----उत्तरदाता

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए :

श्री विकास बालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, और उनके
सहायक श्री हनुमान सिंह
श्री आर.एन. माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता,
वी.सी. द्वारा और उनके सहायक
श्री उत्कर्ष दुबे, वी.सी. द्वारा
श्री संदीप शाह, वरिष्ठ अधिवक्ता और उनके
सहायक श्री अभिमन्यु सिंह राठौर
श्री तनवीर अहमद, वी.सी.द्वारा
श्री एस.पी. शर्मा
श्री भावित शर्मा
श्री शोवित झाझरिया, वी.सी.द्वारा
श्री रघु नंदन शर्मा, वी.सी. द्वारा

उत्तरदाता (ओं) के लिए :

श्री राजेंद्र प्रसाद, महाधिवक्ता, वी.सी. के माध्यम
से, और उनके सहायक श्री अनिरुद्ध सिंह शेखावत
श्री युवराज सामंत, वी.सी. के माध्यम से
श्री आई.आर. चौधरी, एएजी
सुश्री माही यादव, एएजी, वी.सी. के माध्यम से
श्री अरविंद कुमार अरोड़ा, वी.सी. के माध्यम से
श्री अखिल सिमलोटे, वी.सी. के माध्यम से
श्री अरविंद कुमार यादव, वी.सी. के माध्यम से
श्री दीपक बिश्रोई, वी.सी. के माध्यम से
श्री नेहा अमोला, वी.सी. के माध्यम से
श्री महेश थानवी
श्री प्रमोद बोहरा

जस्टिस दिनेश मेहता

निर्णय

आरक्षित तिथि: 04/12/2024

रिपोर्टयोग्य

उच्चारण तिथि : 09/01/2025

1. रिट याचिकाओं में शामिल प्रश्न सामान्य है और इसलिए उनका संयुक्त रूप से निपटारा किया जा रहा है।
2. ग्रुप 'ए' (क्रम संख्या 1 से 5) में सूचीबद्ध रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने इस शिकायत के साथ न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी करते समय, प्रतिवादी - राजस्थान लोक सेवा आयोग (इसके बाद 'आयोग' के रूप में संदर्भित) ने उन उम्मीदवारों को गलत तरीके से शामिल किया है, जिन्होंने खुद को शैक्षणिक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में नामांकित कराया है, जबकि ग्रुप 'बी' (क्रम संख्या 6 से 16) की रिट याचिकाओं के याचिकाकर्ताओं ने इस आशंका के तहत रिट याचिकाएं दायर की हैं कि आयोग उनकी उम्मीदवारी को खारिज कर देगा और कुछ मामलों में चयन सूची में उनके शामिल न होने को चुनौती दी है, इस तथ्य के बावजूद कि उन्होंने साक्षात्कार की तिथि पर अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और वे विज्ञापन में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं।

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

3. मूल प्रश्न, जिसका निर्धारण आवश्यक है, यह है कि क्या कोई उम्मीदवार, जिसने पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक उपाधि (जिसे आगे 'बी.वी.एससी.' कहा जाएगा) के अंतिम वर्ष में दाखिला लिया है, पात्र है या उसे आवेदन पत्र जमा करते समय बी.वी.एससी. पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होना आवश्यक है या हो रहा है। दूसरे शब्दों में, "पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर भर्ती हेतु आवेदन करने हेतु उम्मीदवार की पात्रता मानदंड क्या है?"

4. वर्तमान उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक तथ्य यह है कि प्रतिवादी - आयोग ने पशु चिकित्सा अधिकारियों के 900 पदों को भरने के लिए दिनांक 22.10.2019 को एक विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता निम्नलिखित थी:-

शैक्षणिक योग्यता:-

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन में स्नातक उपाधि या समकक्ष।
- (2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान।

नोट:- 1. राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना आवश्यक है तथा विस्तृत आवेदन पत्र/साक्षात्कार के समय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना

आवश्यक है।	
2. अभ्यर्थी को साक्षात्कार में सम्मिलित होने की दिनांक तक इन्टर्नशिप ट्रेनिंग पूर्ण करना आवश्यक है।	
शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान	उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। नोट:- साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।

5. उपरोक्त विज्ञापन राजस्थान पशुपालन सेवा नियम, 1963 (जिसे आगे 1963 के नियम कहा जाएगा) के अंतर्गत जारी किया गया था तथा इसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों तथा 1963 के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा।

6. 1963 के नियम 11 में शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:-

- "1. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं:- अनुसूची में निर्दिष्ट पद पर सीधीभर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास (1) अनुसूची के स्तंभ 4 में दी गई योग्यताएं, और
- (2) देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।
- बशर्ते कि वह व्यक्ति जो सीधी भर्ती के नियमों या अनुसूची में

उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता वाले पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ हो या उपस्थित हो रहा हो, वह पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन उसे अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण उपयुक्त चयन एजेंसी को प्रस्तुत करना होगा:-

(i) मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से किया जाता है;

(ii) साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है;

(iii) लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले, जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, जैसा भी मामला हो।”

7. समूह 'ए' में उल्लिखित याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिकाएं दायर कर अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क दिया है कि प्रतिवादियों ने उन अभ्यर्थियों को चयन सूची में गलत तरीके से शामिल किया है, जिन्होंने बी.वी.एससी. पाठ्यक्रम के पांचवें वर्ष (अंतिम वर्ष) में नामांकन कराया था, जबकि इस तथ्य को नजरअंदाज किया गया कि जब उन्होंने आवेदन पत्र जमा किया था, तब वे ऐसी किसी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे।

प्रारंभिक आपत्तियां और याचिकाकर्ताओं का जवाब:

(इस मामले में डी.बी. एसएडब्ल्यू/126/2025 और 12 अन्य मामले दायर किए गए हैं। कृपया आगे के आदेशों के लिए इन्हें देखें)

8. राज्य के विद्वान महाधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद और प्रतिवादी-आयोग की ओर से उपस्थित श्री युवराज सामंत के नेतृत्व में प्रतिवादियों द्वारा दो प्रारंभिक आपत्तियाँ उठाई गईं, जिनमें दावा किया गया कि समूह 'क' की रिट याचिकाएँ विलंब और अकर्मण्यता से ग्रस्त हैं। यह भी तर्क दिया गया कि चयन प्रक्रिया में उपस्थित होने के बाद, विज्ञापन की शर्तों के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई चुनौती अनुमन्य नहीं है, अपितु स्वीकृति द्वारा त्याग के सिद्धांत के कारण प्रतिबंधित है। ।

9. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि 22.10.2019 को जारी विज्ञापन में एक नोट था, जिसके अनुसार, बी.वी.एससी. के अंतिम वर्ष में प्रवेश पाने वाले सभी अभ्यर्थी इस पद पर भर्ती के लिए आवेदन करने के पात्र माने जाएँगे। उन्होंने तर्क दिया कि यदि याचिकाकर्ताओं को अपने समावेशन या ऐसे नोट पर कोई आपत्ति थी, तो उन्हें विज्ञापन जारी होते ही अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। उन्होंने तर्क दिया कि नियुक्तियाँ दिए जाने के बाद, वर्ष 2024 में दायर की गई रिट याचिकाएँ (समूह 'क') अत्यधिक विलंबित हैं।

10. विद्वान महाधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:

(क) ताजवीर सिंह सोढी एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य, एआईआर **2023** एससी **2014** (पैरा 12) में रिपोर्ट किया गया

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अरविंद कुमार श्रीवास्तव, (2015) 1 एससीसी 347 में रिपोर्ट किया गया (विलंब और अकर्मण्यता के मुद्दे पर)।

11. श्री सामंत ने ताजवीर सिंह सोढ़ी (उपर्युक्त) मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया ।

12. निजी प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री अरविंद कुमार ने एआईआर 2020 (एससी) 2060 में दर्ज रामजीत सिंह कर्दम एवं अन्य बनाम संजीव कुमार एवं अन्य के मामले पर भरोसा जताया।

13. इस प्रकार उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों का जवाब देते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास बालिया और याचिकाकर्ताओं (समूह 'क') के विद्वान अधिवक्ता श्री तनवीर अहमद ने तर्क दिया कि याचिकाओं में देरी और लापरवाही नहीं है क्योंकि परिणाम घोषित होने तक याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई का कारण नहीं बनाया गया था। उन्होंने प्रस्तुत किया कि नियुक्त किए जाने वाले उम्मीदवारों की अंतिम परिणाम या सूची 26.05.2024 को जारी की गई थी और केवल इसी समय याचिकाकर्ताओं को पता चला कि कई ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की गई है जिनके पास आवेदन पत्र जमा करते समय शैक्षणिक और तकनीकी योग्यताएं नहीं थीं, जैसा कि 1963 के नियम 11 में निर्धारित है। उन्होंने

तर्क दिया कि रिट याचिकाओं को विलंबित होने का आरोप नहीं लगाया जा सकता।

14. यह मानते हुए कि विज्ञापन की शर्त के अनुसार भी केवल उन अभ्यर्थियों को पात्र माना जा सकता है, जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए थे या उपस्थित हो रहे थे, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि विज्ञापन में स्पष्ट रूप से 1963 के नियमों का उल्लेख किया गया था, इसलिए याचिकाकर्ताओं का यह विश्वास था कि अयोग्य अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी और इस प्रकार, उन्हें अंतिम चयन सूची का इंतजार करना पड़ा।

15. प्रारंभिक आपत्तियों का जवाब देते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालिया ने बताया कि दिनांक 22.10.2019 के विषयगत विज्ञापन में विस्तृत जानकारी का संदर्भ दिया गया था और उम्मीदवार को संबंधित नियमों को पढ़ने की आवश्यकता थी और तर्क दिया कि याचिकाकर्ता आयोग के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसलिए, उन्हें देरी के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

16. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया:-

समूह 'क'

(i) मलिक मज़हर सुल्तान एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, (2006) 9 एससीसी 507 (पैरा 21 और 24) में प्रतिवेदित।

(ii) अशोक कुमार सोनकर बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2007) 4 एससीसी 54 - पैरा 40 में प्रतिवेदित।

(iii) राकेश बख्शी एवं अन्य बनाम जम्मू एवं कश्मीर राज्य एवं अन्य, एआईआर 2019 (एससी) 662 में प्रतिवेदित।

17. प्रतिवादियों द्वारा देरी (चार साल की) के तर्क का विरोध करते हुए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब पहली सूची (साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों की सूची) जारी की गई थी, तो याचिकाकर्ताओं को लगा था कि दस्तावेज़ सत्यापन के समय ऐसे सभी अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने तर्क दिया कि जब तक दस्तावेज़ों की जाँच या याचिकाकर्ताओं की शैक्षिक योग्यता या पात्रता की जाँच नहीं हो जाती, तब तक याचिकाकर्ताओं के पास कार्रवाई का कोई कारण नहीं है।

18. जयपुर बेंच में पंजीकृत रिट याचिका संख्या 14022/2024 (वीरेन्द्र सिंह एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.एन. माथुर ने भिन्न-भिन्न तर्कों के साथ यही दलील दोहराई कि वाद का कारण केवल विज्ञापन जारी होने पर ही उत्पन्न

नहीं हुआ था; बल्कि वास्तव में यह तब उत्पन्न हुआ जब याचिकाकर्ताओं को पता चला कि अयोग्य उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है।

19. उन्होंने दलील दी कि यद्यपि स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम 26.11.2020 को घोषित किया गया था, लेकिन दस्तावेजों की जाँच साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद की गई थी और इसलिए, वे आयोग के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे थे। और वर्ष 2024 में अंतिम चयन सूची जारी होने के तुरंत बाद, याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी - आयोग की कार्रवाई को चुनौती देते हुए रिट याचिकाएँ दायर कीं, जिसने स्पष्ट रूप से अयोग्य उम्मीदवारों को ऐसी सूची में शामिल किया है।

20. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता यह नहीं सोच सकते कि आयोग 1963 के नियमों की स्पष्ट भाषा का पालन नहीं करेगा और उस रुख से हट जाएगा, जो उसने 2011 और 2013 की पिछली भर्तियों में रामेश्वर प्रसाद चौधरी बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **3659/2016**) और अन्य मामलों में रिट याचिकाओं का मुकाबला करते समय लिया था, जिसका निर्णय जयपुर बेंच ने 25.07.2016 को किया था और मनोज कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **3271/2016**) का निर्णय 16.08.2016 को डिवीजन बेंच ने मनोज कुमार एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या

858/2016 जोधपुर) के मामले में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2017 द्वारा पुष्टि की थी।

21. विद्वान महाधिवक्ता के इस तर्क का कि याचिकाकर्ताओं ने भर्ती प्रक्रिया में भाग लेकर सहमति दे दी है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बलिया ने यह तर्क देते हुए जवाब दिया कि विज्ञापन की शर्तों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी गई है कि वे मनमाने या पक्षपातपूर्ण हैं, बल्कि उन्हें 1963 के नियमों के विपरीत होने के कारण चुनौती दी गई है, इसलिए ऐसी चुनौती सहमति के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आती। उन्होंने आगे कहा कि मूल चुनौती चयन सूची में उम्मीदवारों के अवैध रूप से शामिल किए जाने की है और विज्ञापन की शर्तों को चुनौती एक आकस्मिक और वैकल्पिक/अनुवर्ती तर्क है।

22. इसी तरह की एक रिट याचिका के याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री शर्मा ने बताया कि कुछ पात्र उम्मीदवारों ने एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 16900/2019 और 13185/2020 के रूप में रिट याचिकाएं दायर की थीं, जिसमें यह आशंका थी कि प्रतिवादी - आयोग गलत तरीके से उन उम्मीदवारों को शामिल करेगा, जो विज्ञापन जारी होने की तिथि पर अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे और तर्क दिया कि विद्वान महाधिवक्ता और प्रतिवादी - आयोग द्वारा उठाई गई देरी और लापरवाही की आपत्तियां उन मामलों पर लागू नहीं होंगी,

क्योंकि उन रिट याचिकाओं को याचिकाकर्ताओं द्वारा वर्ष 2020 में ही पहली बार दायर किया गया था।

23. यह इंगित करते हुए कि चयन उन रिट याचिकाओं के अधीन किए गए हैं, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि उनकी रिट याचिकाओं की सुनवाई योग्यता के आधार पर की जाती है, तो स्पष्ट रूप से विलंब एवं उपेक्षा और मौन स्वीकृति की प्रारंभिक आपत्तियां आड़े नहीं आएंगी और उन्होंने प्रार्थना की कि सभी मामलों को प्रारंभिक आपत्तियों के आधार पर खारिज करने के बजाय उनकी योग्यता के आधार पर तय किया जाए, जो अन्यथा कानून में असमर्थनीय हैं।

24. रिट याचिकाओं की विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियों पर प्रतिद्वंदी वकीलों द्वारा विस्तृत तर्क प्रस्तुत किए गए, जिन पर 27.11.2024 को सुनवाई हुई। लेकिन, न्यायालय का विचार था कि इन मुद्दों पर टुकड़ों में निर्णय नहीं दिया जा सकता, इसलिए उसने प्रतिद्वंदी वकीलों से मामले के गुण-दोष पर भी तर्क प्रस्तुत करने को कहा, ताकि एक समग्र निर्णय दिया जा सके। हालाँकि, समय की कमी के कारण, मामले की सुनवाई 04.12.2024 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जब मामले के गुण-दोष पर विस्तृत तर्क सुने गए।

याचिकाकर्ताओं (समूह 'ए') द्वारा योग्यता के आधार पर दिए गए तर्क:-

25. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालिया ने विज्ञापन की प्रासंगिक शर्तों के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया और रेखांकित किया कि भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में होनी थी - पहला, स्क्रीनिंग टेस्ट और फिर साक्षात्कार; और विज्ञापन की शर्तों के अनुसार लिखित परीक्षा के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए थे (स्क्रीनिंग टेस्ट में प्राप्त अंकों का 40% वेटेज); 20 अंक शैक्षणिक योग्यता के लिए और 40 अंक साक्षात्कार के लिए निर्धारित थे और तदनुसार 100 अंकों की मेरिट सूची तैयार की जानी थी।

26. उन्होंने दलील दी कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24.11.2019 थी; स्क्रीनिंग टेस्ट 02.08.2020 को हुआ; इसका परिणाम 26.11.2020 को घोषित किया गया; साक्षात्कार 29.09.2023 को आयोजित किए गए और उसके बाद दस्तावेजों का सत्यापन हुआ। उन्होंने दावा किया कि याचिकाकर्ताओं (समूह 'ए' के) को मार्च, 2024 में ही पता चला कि अयोग्य उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया था और वे सभी उम्मीदवार जो आयोग को यह बताकर संतुष्ट कर सके कि उन्होंने बी.बी.एससी. की तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और पाठ्यक्रम के चौथे (अंतिम) वर्ष में प्रवेश ले लिया है, उन्हें योग्य माना गया है और चयनित उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया गया है।

27. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि वर्ष 2015 से पहले, पशु चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री के लिए 5 वर्ष की शैक्षणिक योग्यता और उसके बाद 6 महीने की इंटरनशिप की आवश्यकता होती थी, जबकि 2015 के बाद पैटर्न बदल गया है और अब 4 वर्ष की शैक्षणिक योग्यता और उसके बाद डेढ़ वर्ष की इंटरनशिप की आवश्यकता है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्ष 2015 में प्रवेश पाने वाले सभी अभ्यर्थियों की पात्रता संदिग्ध है, क्योंकि विज्ञापन 22.10.2019 को जारी किया गया था।

28. उन्होंने तर्क दिया कि ऐसे उम्मीदवारों ने शैक्षणिक पाठ्यक्रम की तृतीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और उन्हें चतुर्थ वर्ष में प्रवेश मिल गया है। उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय की तृतीय वर्ष की परीक्षाएँ सितंबर, 2019 में कहीं आयोजित की गई थीं और परिणाम (तृतीय वर्ष की परीक्षा) अक्टूबर-नवंबर 2019 में घोषित किया गया था, इसलिए, जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2015 में बी.वी.एससी. में प्रवेश लिया था, वे किसी भी तरह से यह दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24.11.2019 को अंतिम वर्ष की परीक्षा दी थी। उन्होंने तर्क दिया कि अंतिम वर्ष में प्रवेश लेना ही संबंधित भर्ती के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

29. 1963 के नियमों के नियम 11 के परंतुक की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित करते हुए, विद्वान वकील ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उसमें स्पष्ट शब्दों में 'अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या परीक्षा में उपस्थित हो रहा है' वाक्यांश का प्रयोग किया गया है और तर्क दिया कि प्रतिवादी - आयोग ने विज्ञापन में एक खराब शब्दावली वाली शर्त डालते हुए परंतुक की स्पष्ट भाषा को विकृत कर दिया है। 1963 के नियमों के नियम 11 के परंतुक में निहित बातों को बताने के लिए बनाई गई शर्त, चूक या असावधानी के कारण इस तरह से तैयार की गई है कि प्रयुक्त वाक्यांश से यह आभास होता है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में प्रवेश पाने वाला उम्मीदवार भी पात्र होगा।

30. श्री बालिया ने सबसे पहले 'अंतिम वर्ष की परीक्षा' अभिव्यक्ति पर ज़ोर दिया और फिर तर्क दिया कि भले ही विज्ञापन यह धारणा देता हो कि बी.वी.एससी. के अंतिम वर्ष में प्रवेश पाने वाला उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पात्र है, लेकिन इसे कोई विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्रश्नगत नोट 1963 के नियमों के नियम 11 के प्रावधान में निहित स्पष्ट प्रावधान के विपरीत है।

31. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब संबंधित नियम में 'अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या उपस्थित हो रहा है' अभिव्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तो पद के लिए आवेदन करने की पात्रता 'परीक्षा' ही होनी

चाहिए। विज्ञापन की शर्तें तय करते समय आयोग की कोई भी त्रुटि या चूक वैधानिक प्रावधानों का अतिक्रमण या अवहेलना नहीं कर सकती।

32. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जयपुर पीठ द्वारा 25.07.2016 को रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय तथा उसी पीठ द्वारा 20.01.2017 को समीक्षा याचिका (एस.बी. रिट समीक्षा याचिका संख्या **127/2016**: गिराज प्रसाद शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य) पर निर्णय देते समय की गई टिप्पणियों में अस्पष्टता के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा गया था।

33. उन्होंने तर्क दिया कि आयोग ने इसी पद (पशु चिकित्सा अधिकारी) के लिए दिनांक 08.03.2011 और 02.05.2013 के विज्ञापनों के माध्यम से शुरू की गई पिछली भर्तियों में स्पष्ट रुख अपनाया था कि केवल वे उम्मीदवार ही पात्र हैं जिन्होंने अंतिम वर्ष की परीक्षा दी है, न कि वे जो परीक्षा देंगे। उन्होंने तर्क दिया कि जब जयपुर पीठ ने रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) मामले में निर्णय देते हुए आयोग के इस रुख को मंजूरी दे दी है, तो आयोग के पास यह तर्क देने का कोई औचित्य नहीं है कि अंतिम वर्ष में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार भी आवेदन करने के पात्र हैं।

34. उन्होंने तर्क दिया कि उपरोक्त निर्णयों के अलावा, प्रतिवादी आयोग अपने स्वयं के रुख से बंधा हुआ है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि आयोग एक ही पद के लिए दो भर्तियों में, बिल्कुल समान तथ्यों और बिल्कुल समान वैधानिक स्थिति के बावजूद, दो अलग-अलग रुख कैसे अपना सकता है।

35. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न केवल जयपुर पीठ ने रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) के मामले में, बल्कि जोधपुर स्थित समन्वय पीठ ने भी मनोज कुमार (उपरोक्त) के मामले में दिनांक 16.08.2016 के अपने निर्णय में यही दृष्टिकोण अपनाया है, और इस दृष्टिकोण की पुष्टि डी.बी. विशेष अपील (रिट) संख्या 858/2016 में दिनांक 25.08.2017 को निर्णीत खंडपीठ द्वारा भी की गई है।

36. तीनों निर्णयों के क्रियात्मक भाग को पढ़ने के बाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हैरानी से टिप्पणी की - आयोग ऐसा रुख और व्याख्या करने का साहस कैसे कर सकता है, जो उसके स्वयं के पूर्व में लिए गए रुख के विपरीत है और जो इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, जिसमें वह एक पक्ष था, के सीधे विरोध में है।

37. न्यायालय का ध्यान एक याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 27.09.2023 को प्रस्तुत अभ्यावेदन की ओर आकर्षित किया गया, जिसमें यह तर्क दिया गया था

कि शिकायत यह थी कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जिन्होंने वर्ष 2020 में अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है और ऐसे उम्मीदवारों को शामिल करना जयपुर और जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आलोक में कानूनी नहीं था।

38. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के अभ्यावेदन के बावजूद, आयोग ने 29.09.2023 को पत्र जारी कर अभ्यर्थियों से अंतिम वर्ष में प्रवेश का प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा था। उन्होंने तर्क दिया कि आयोग का यह रुख कि विज्ञापन की तिथि अर्थात् 22.10.2019 तक अंतिम वर्ष में प्रवेश पाने वाले सभी अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र हैं, स्पष्ट रूप से नियमों और इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के विपरीत है।

39. उन्होंने दोहराया कि यदि विज्ञापन की शर्तों से कुछ भ्रम पैदा होता है और ऐसा लगता है कि बी.वी.एससी. के अंतिम वर्ष में प्रवेश पाने वाला अभ्यर्थी पात्र है, तो ऐसी व्याख्या से बचा जाना चाहिए, क्योंकि इससे 1963 के नियम 11 के प्रावधान का उल्लंघन होगा।

सह-अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ:

40. याचिकाकर्ताओं (समूह 'क' मामलों के) के विद्वान वकील श्री एस.पी. शर्मा ने दलील दी कि समूह 'ख' मामलों के याचिकाकर्ता विज्ञापन के नोट की गलत व्याख्या कर रहे हैं। उन्होंने तर्क दिया कि उक्त नोट के अनुसार भी, केवल वे ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र थे जो परीक्षा में उपस्थित हुए थे। उन्होंने तर्क दिया कि विचाराधीन नोट, हालाँकि स्पष्ट शब्दों में नहीं लिखा गया है, लेकिन 1963 के नियमों के अनुरूप है और इसलिए, समूह 'क' के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएँ स्वीकार किए जाने योग्य हैं, जबकि समूह 'ख' के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएँ अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

समूह 'बी' के याचिकाकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ:

41. याचिकाकर्ताओं (समूह 'ख' मामलों के) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संदीप शाह ने शुरू में तर्क दिया कि मनोज कुमार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय द्वारा 16.08.2016 को दिए गए निर्णय में भिन्न तथ्य शामिल थे और इसलिए, उसमें की गई टिप्पणियों को वर्तमान मामले में बाध्यकारी मिसाल नहीं माना जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) मामले में जयपुर पीठ के निर्णय के संबंध में भी यही स्थिति है।

42. तथ्यात्मक अंतर को इंगित करने के उद्देश्य से, श्री शाह ने प्रस्तुत किया कि दोनों मामलों में, जो पिछली भर्तियों से संबंधित हैं, विज्ञापन 02.05.2013 और

08.03.2011 को जारी किए गए थे और उस समय तक याचिकाकर्ताओं ने चौथे वर्ष की परीक्षा भी उत्तीर्ण नहीं की थी, जिसके लिए, न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को अयोग्य माना और ऐसा करते समय, एक संदर्भ दिया गया कि नोट संख्या 2 (वर्तमान मामले के समान) का उद्देश्य उन उम्मीदवारों से निपटना था जो पांचवें वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए थे या उपस्थित होने वाले थे।

43. विशिष्ट विशेषताओं को सामने लाने के बाद, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी - आयोग ने अधिक उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए एक लाभकारी दृष्टिकोण अपनाया है, क्योंकि पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए भर्ती 5-6 साल बाद हुई थी और तर्क दिया कि यदि भर्ती एजेंसी - आयोग ने अधिक उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है, तो इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए, विशेष रूप से, जब सभी याचिकाकर्ताओं ने साक्षात्कार की तारीख तक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता हासिल कर ली है।

44. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए देश के सभी भागों से उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिन्होंने विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अपनी शैक्षणिक योग्यता (बी.वी.एससी.) प्राप्त की है। चूंकि सभी संस्थानों में परीक्षा आयोजित करने और

परीक्षा फॉर्म जमा करने की तिथियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए आयोग ने व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए, कठिनाई को दूर करने और एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से, विज्ञापन में शर्त संख्या 2 के माध्यम से आवेदन दाखिल करने की पात्रता आवश्यकता में ढील दी है। उन्होंने तर्क दिया कि आयोग का यह दृष्टिकोण, जो उम्मीदवारों के व्यापक हित में है, हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रखता, खासकर जब ऐसे मानदंड समान रूप से लागू किए गए हों।

45. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं और उनके जैसे अन्य उम्मीदवारों को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार योग्य माना गया है; उन्होंने स्क्रीनिंग टेस्ट और साक्षात्कार पास कर लिया है और आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्राप्त अंकों के आधार पर उनका चयन किया गया है और उन्हें नियुक्ति भी दी गई है। उन्होंने तर्क दिया कि चूँकि याचिकाकर्ताओं ने अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले अपनी योग्यता साबित कर दी है, इसलिए याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवारों को दी गई नियुक्तियाँ बचाई जानी चाहिए, भले ही इस न्यायालय को समूह 'क' मामलों के याचिकाकर्ताओं के तर्क में कुछ दम नज़र आए। उन्होंने प्रार्थना की कि समूह 'ख' के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को स्वीकार किया जाए और प्रतिवादियों को उन्हें नियुक्तियाँ देने का निर्देश दिया जाए।

46. अपनी पूर्वोक्त प्रार्थना के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग एवं अन्य बनाम संदीप श्रीराम वराडे एवं अन्य, (2019) 6 एससीसी 362 में प्रकाशित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा संख्या 9 में उल्लिखित बातों पर दृढ़ता से भरोसा किया और कहा कि यदि नियमों में कुछ अस्पष्टता है, तो न्यायालय को ऐसी व्याख्या का पक्ष लेना चाहिए जो अभ्यर्थियों के लिए लाभकारी हो। पैरा संख्या 9 में दिए गए पूर्वोक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे पुनः प्रस्तुत है:-

"9. यदि विज्ञापन की भाषा और नियम स्पष्ट हैं, तो न्यायालय उस पर निर्णय नहीं दे सकता। यदि विज्ञापन में कोई अस्पष्टता है या यह किसी नियम या कानून के विपरीत है, तो मामला उचित आदेशों के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के पास वापस जाना चाहिए ताकि कानून के अनुसार आगे कार्रवाई की जा सके। किसी भी मामले में न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की आड़ में, नियुक्ति प्राधिकारी की कुर्सी पर बैठकर यह निर्णय नहीं ले सकता कि नियोक्ता के लिए क्या सर्वोत्तम है और विज्ञापन की शर्तों की व्याख्या उसकी स्पष्ट भाषा के विपरीत नहीं कर सकता।"

47. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रमेश चंद्र शाह बनाम अनिल जोशी मामले में दिए गए निर्णय (2013) 11 एससीसी 309 (पैरा 16 से 18) का हवाला देते हुए तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया में सचेत रूप से भाग

लेने वाला अभ्यर्थी पीछे मुड़कर चयन की विधि और उसके परिणाम पर सवाल नहीं उठा सकता।

48. अंत में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने न केवल चयन प्रक्रिया में भाग लिया है, बल्कि अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले अपनी योग्यता साबित की है और इसलिए, इस मोड़ पर, उन्हें बाहर नहीं किया जाना चाहिए और वैकल्पिक रूप से प्रार्थना की कि उनकी नियुक्ति को बचाया जाए और प्रतिवादियों को उचित निर्देश जारी किया जाए कि वे वर्तमान रिक्तियों के विरुद्ध नहीं तो 22.10.2019 के बाद उत्पन्न होने वाली भविष्य की रिक्तियों के विरुद्ध उन्हें समायोजित करें।

आरपीएससी की ओर से श्री सामंत के तर्क:

49. प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सामंत ने कहा कि चूँकि विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में परीक्षा फॉर्म जमा करने और परीक्षा देने की तिथियाँ अलग-अलग होती हैं, इसलिए अभ्यर्थियों की कठिनाई दूर करने और एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, आयोग ने जानबूझकर यह निर्णय लिया है कि वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने तृतीय वर्ष का शैक्षणिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण कर लिया है और चतुर्थ वर्ष में प्रवेश प्राप्त कर लिया है, आवेदन करने के पात्र माने जाएँगे।

उन्होंने कहा कि आयोग का यह दृष्टिकोण 1963 के नियम 11, जिसमें उसका प्रावधान भी शामिल है, की उद्देश्यपूर्ण व्याख्या पर आधारित है।

50. यह प्रस्तुत करते हुए कि विज्ञापन में विवादास्पद नोट उम्मीदवारों के आधार का विस्तार करने और अधिक उम्मीदवारों को शामिल करने के लिए तैयार किया गया है, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस तरह के मानदंड समान रूप से लागू किए गए हैं और तर्क दिया कि ग्रुप 'बी' के याचिकाकर्ताओं और इसी तरह की स्थिति वाले अन्य उम्मीदवारों ने न केवल स्क्रीनिंग टेस्ट पास किया है, बल्कि साक्षात्कार में भी अच्छा प्रदर्शन किया है और इसलिए, जो भी अधिक मेधावी था, उसे चयन सूची में अपना स्थान मिला है।

51. श्री सामंत ने आगे दलील दी कि किसी भी स्थिति में, नियुक्ति के लिए अनुशंसित उम्मीदवारों की सूची में जिन सभी उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, उन्होंने 1963 के नियम 11 और विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, संबंधित तिथि (साक्षात्कार) को अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि उन्होंने दस्तावेज़ सत्यापन के समय अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर ली है, इसलिए वे पात्र माने जाने के हकदार हैं।

52. श्री सामंत ने वैकल्पिक रूप से यह तर्क दिया कि जब पद के लिए आवेदन करने की पात्रता की बात आती है तो न्यायालय को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए; जब अंतिम रूप से चयनित होने के समय पात्रता या शैक्षिक योग्यता की बात आती है तो निस्संदेह पात्रता के संबंध में सख्त दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

53. न्यायालय के इस प्रश्न पर कि आयोग ने वर्तमान भर्ती में अपना रुख क्यों बदला है, जबकि पहले आयोग का रुख यह था कि जो उम्मीदवार अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए हैं या ऐसी परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, वे ही आवेदन करने के पात्र हैं; श्री सामंत के पास कोई प्रतिक्रिया/टिप्पणी नहीं थी।

आरपीएससी की ओर से श्री थानवी के तर्क:

54. एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17934/2023 में प्रतिवादी - आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री महेश थानवी ने इस तथ्य को सामने लाया कि वेटरनरी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, चौथे वर्ष की परीक्षा का परिणाम 16.11.2019 को घोषित किया गया था, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24.11.2019 थी और तर्क दिया कि ग्रुप 'बी' का कोई भी याचिकाकर्ता आवेदन करने की पात्रता का दावा नहीं कर सकता है, क्योंकि

उन्हें 24.11.2019 तक अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम में प्रवेश भी नहीं मिला था, अंतिम वर्ष की परीक्षाओं की तो बात ही क्या करें।

प्रत्युत्तर तर्क:

55. याचिकाकर्ताओं (समूह क) की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालिया ने अपने प्रत्युत्तर में कहा कि 1963 के नियमों का नियम 11 स्पष्ट है और इसमें "अंतिम वर्ष की परीक्षा" शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें दो व्याख्याएँ नहीं हो सकतीं। उन्होंने स्वीकार किया कि विज्ञापन की तिथि अर्थात् 22.10.2019 को अंतिम वर्ष के लिए परीक्षा फॉर्म भरने वाले उम्मीदवार के अलावा, किसी अन्य उम्मीदवार को भी आवेदन करने के योग्य माना जा सकता है, भले ही उसने अपनी इंटर्नशिप पूरी न की हो। लेकिन जब तक किसी उम्मीदवार ने आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म नहीं भरा होता, तब तक उसे 22.10.2019 की भर्ती अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के योग्य नहीं माना जा सकता।

56. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि मनोज कुमार (उपरोक्त, रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) के मामलों में दिए गए निर्णयों और मनोज कुमार (उपरोक्त) के मामले में दिनांक 25.08.2017 के खंडपीठ के निर्णय में जो कहा गया है, उसे एक टिप्पणी नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब विचाराधीन

नियम वही नियम हैं जिनकी व्याख्या न्यायालय ने की है। उन्होंने तर्क दिया कि तथ्यों में मामूली अंतर उस कानूनी स्थिति को नहीं बदल सकता, जिसे इस न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया है।

57. यह तर्क दिया गया कि यह विज्ञापन नहीं बल्कि शर्त का दोषपूर्ण प्रारूपण था, जिसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हुई, अन्यथा आयोग का रुख हमेशा से यह रहा है कि जो अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या उपस्थित हो रहे हैं, वे ही पद के लिए प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जैसा कि उपर्युक्त मामलों में आयोग द्वारा दिए गए तर्क से समझा जा सकता है।

58. उन्होंने प्रबल रूप से तर्क दिया कि 1963 के नियमों के नियम 11 के प्रावधान या विज्ञापन से जुड़े नोट के बिना, एक उम्मीदवार जिसने बी.बी.एससी. में स्नातक पूरा नहीं किया है, वह आवेदन पत्र भी नहीं भर सकता था। और प्रावधान केवल उन उम्मीदवारों को लाभ प्रदान करने की दृष्टि से जोड़ा गया है, जिन्होंने अंतिम वर्ष की अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और परीक्षा में बैठने वाले थे या बैठ चुके थे और जिनका परिणाम प्रतीक्षित है। उन्होंने तर्क दिया कि उम्मीदवारों को प्रदान की गई ऐसी छूट को उस सीमा तक नहीं बढ़ाया जा सकता है जिस तक समूह 'बी' के याचिकाकर्ता प्रयास कर रहे हैं।

59. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकॉर्ड और संबंधित कानून का अवलोकन किया।

विवेचना और निष्कर्ष

(क) प्रारंभिक आपत्तियां:-

60. प्रतिवादी - आयोग और राज्य ने समूह 'ए' मामलों के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं की विचारणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई हैं, मुख्यतः विलंब एवं शिथिलता और मौन स्वीकृति के आधार पर।

61. यह ध्यान में रखना होगा कि विज्ञापन 22.10.2019 को जारी किया गया था, जिसमें पात्रता/शैक्षणिक योग्यता से संबंधित एक खंड था, जिसमें "परीक्षा"(परीक्षा) अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से गायब है। सामान्य परिस्थितियों में, राज्य उचित रूप से यह तर्क दे सकता है कि यदि याचिकाकर्ताओं (समूह 'ए' के) को इस तरह के खंड के बारे में कोई चिंता थी, तो उन्हें विज्ञापन जारी होने के तुरंत बाद रिट याचिका दायर करके इसे चुनौती देनी चाहिए थी।

62. निस्संदेह, इसी तरह की शर्त के साथ एक शर्त आयोग द्वारा दिनांक 08.03.2011 और 02.05.2013 के अपने पहले के विज्ञापनों में जोड़ी गई थी और इस खंड से निपटते हुए, जयपुर में इस न्यायालय की समन्वय पीठों और जोधपुर

में भी और यहां तक कि डिवीजन बेंच ने भी माना था कि केवल वे उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र थे जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए थे या उपस्थित हो रहे थे।

63. यह उल्लेखनीय है कि पूर्व की भर्तियों में आयोग का रुख, वर्ष 1963 के नियमों के नियम 11 के उपबंधों के अनुरूप रहा है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं की यह दलील कि वे वास्तव में इस विश्वास में रहे कि प्रतिवादी - आयोग 1963 के नियमों के नियम 11 के आदेश का पालन करेगा और उन सभी उम्मीदवारों को बाहर कर देगा जो रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) और मनोज कुमार (उपरोक्त) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार अयोग्य थे, को निराधार नहीं कहा जा सकता।

64. वस्तुतः, याचिकाकर्ताओं को वाद-कारण तभी प्राप्त हुआ जब प्रतिवादी - आयोग ने 24.11.2019 को, जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि थी, चयन सूची जारी की और अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को भी इसमें शामिल किया। चूँकि चयन सूची जारी होने पर याचिकाकर्ताओं को वाद-कारण प्राप्त हुआ, इसलिए प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति कि रिट याचिकाओं में विलंब और लापरवाही बरती गई है,

अस्वीकार्य है और निरस्त किए जाने योग्य है। अतः, इसे अस्वीकार किया जाता है।

65. ताजवीर सिंह सोढी (उपरोक्त) और अरविंद कुमार श्रीवास्तव (उपरोक्त) के मामले में विद्वान महाधिवक्ता और श्री सामंत द्वारा विलंब और लापरवाही के संबंध में उद्धृत निर्णय स्पष्ट रूप से अलग-अलग हैं।

66. विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उत्साहपूर्वक प्रस्तुत किया गया एक और तर्क भी उतना ही कमजोर है कि चयन प्रक्रिया में शामिल होने के कारण याचिकाकर्ता सहमति के सिद्धांत पर विज्ञापन की शर्तों को चुनौती नहीं दे सकते। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं की चुनौती को विज्ञापन में संलग्न शैक्षणिक योग्यता संबंधी विवादास्पद नोट को चुनौती नहीं कहा जा सकता; चुनौती मूलतः आयोग की उस कार्रवाई को है जिसने नोट की गलत वर्तनी लिखने के बाद उसे गलत समझा है।

67. यहां तक कि अगर इसे विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने का मामला कहा जाता है, तो इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत कि चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाला उम्मीदवार इसकी शर्तों को चुनौती नहीं दे सकता है, याचिकाकर्ताओं के चुनौती देने के अधिकार को नहीं छीन सकता है, क्योंकि उक्त सिद्धांत उन मामलों में लागू होता है, जहां याचिकाकर्ता विज्ञापन की

उस शर्त पर आपत्ति करते हैं जो उनके चयन या भर्ती होने के रास्ते में बाधा डालती है।

68. वास्तव में , याचिकाकर्ताओं (समूह 'क') ने शर्त की गलत व्याख्या के आधार पर समूह 'ख' के उम्मीदवारों/याचिकाकर्ताओं को शामिल किए जाने को चुनौती दी है, जिसके कारण नियम 11 के अनुसार अयोग्य उम्मीदवारों को भी योग्य मान लिया गया है और इस प्रक्रिया में, शर्त को भी चुनौती दी गई है। चूँकि याचिकाकर्ताओं (समूह 'क') ने अपने चयन में बाधा डालने वाली किसी भी शर्त पर सवाल नहीं उठाया है, इसलिए उनके मामलों मौन स्वीकृति का सिद्धांत उनके प्रकरणों पर लागू नहीं होता है।

69. **रामजीत सिंह कर्दम (उपरोक्त)** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक बार जब कोई उम्मीदवार सोच-समझकर साक्षात्कार में शामिल होता है, तो केवल इसलिए कि साक्षात्कार का परिणाम उसे पसंद नहीं आता, वह पीछे मुड़कर यह तर्क नहीं दे सकता कि चयन समिति द्वारा साक्षात्कार प्रक्रिया अनुचित थी। पूर्व निर्धारित मामले (समूह 'क' की रिट याचिकाएँ) के तथ्य रामजीत सिंह कर्दम (उपरोक्त) मामले से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं।

70. यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं (समूह 'क') ने शर्त स्वीकार कर ली और बाद में उसे चुनौती देने का साहस किया। स्वीकृति के सिद्धांत का

अर्थ है किसी शर्त को स्वीकार करना और फिर, उसमें सफल न होने पर, उस शर्त पर आरोप लगाना। इसके विपरीत, याचिकाकर्ताओं ने अनुचित, बल्कि गलत शब्दों में लिखी गई शर्त को चुनौती दी है, जिसके कारण अयोग्य उम्मीदवार उत्तीर्ण हो गए और चयनित हो गए, जो 1963 के नियमों के नियम 11 के स्पष्ट प्रावधानों के विरुद्ध है।

71. इस न्यायालय को प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई ठोस तथ्य नज़र नहीं आता। इसलिए, याचिकाकर्ताओं (समूह 'क') को विलंब एवं शिथिलता के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा, जब एक अभ्यर्थी द्वारा इसी तरह की राहत की एक रिट याचिका इस न्यायालय में वर्ष 2020 में ही दायर की जा चुकी है (एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 13185/2020, जिसका शीर्षक रमाकांत सोनी बनाम राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं अन्य है) और वह अभी भी लंबित है, तो वर्ष 2024 में दायर रिट याचिकाओं (समूह 'क') को खारिज करने से प्रतिवादियों को कोई खास लाभ नहीं होगा।

72. यदि नियम 11 के पाठ और उसके प्रथम परंतुक को ध्यान में रखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि केवल वे अभ्यर्थी ही पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए पात्र हैं जिन्होंने बी.वी.एस.सी. की अंतिम वर्ष की परीक्षा दी है या दे रहे हैं। लेकिन

सवाल यह उठता है कि वह कौन-सा चरण है जिस पर किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल होने वाला कहा जा सकता है?

73. जहाँ तक 'उपस्थित हुए अभ्यर्थी' अभिव्यक्ति का संबंध है, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता - ऐसे अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा की समय-सारणी/प्रवेश पत्र जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं और इसे आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। लेकिन, "पाठ्यक्रम की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने" की अभिव्यक्ति को लेकर एक कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इस न्यायालय के अनुसार, एक अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा में उपस्थित होने वाला तभी कहा जा सकता है जब उसने परीक्षा फॉर्म जमा कर दिया हो और अपेक्षित परीक्षा शुल्क जमा कर दिया हो। इस चरण से पहले, एक अभ्यर्थी, भले ही उसने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रवेश ले लिया हो और पाठ्यक्रम जारी रखे हुए हो, यह दावा नहीं कर सकता कि वह अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो रहा है।

74. नियम की शाब्दिक और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या से तात्पर्य केवल उन अभ्यर्थियों से है, जो वास्तव में अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या जिन अभ्यर्थियों ने अपना परीक्षा फॉर्म भरा है और अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए अपेक्षित शुल्क जमा किया है।

75. अतः, यह स्पष्ट है कि नियमों के अनुसार, आयोग को अभ्यर्थियों से अंतिम वर्ष की परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म/परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि का प्रमाण और प्रवेश पत्र की प्रति प्रस्तुत करने के लिए कहना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुका था या नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, तो उसे पद के लिए आवेदन करने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

76. विषय नोट इस प्रकार है:-

"उक्त पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा।

नोट:- साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक (साक्षात्कार का पहला दिन) है।"

यदि आपत्तिजनक नोट को संपूर्णता में पढ़ा जाए तो यह स्पष्ट है कि विज्ञापन की शर्तें तैयार करते समय ड्राफ्ट्समैन की असावधानी या त्रुटि के कारण 'अंतिम वर्ष' और 'मे सम्मिलित' के बीच अभिव्यक्ति 'की परीक्षा' गायब है।

77. यदि ध्यान से पढ़ा जाए, तो यह स्पष्ट है कि यह उन अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, जिन्होंने अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया है, अन्यथा 'सम्मिलित हुआ या शामिल होने वाला' अभिव्यक्ति का उपयोग निरर्थक या अनावश्यक हो जाता है। यद्यपि नियम 11 के प्रावधान के अनुसार अनुमति नहीं है, भले ही आयोग का इरादा उन सभी उम्मीदवारों को शामिल करना था जिन्होंने अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया था, तो सरल अभिव्यक्ति "अंतिम वर्ष में प्रविष्ट या प्रवेशित हो, आवेदन करने का पात्र होगा" पर्याप्त होगा। 'सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला' अभिव्यक्ति का उपयोग केवल 'परीक्षा या परीक्षा' शब्द के साथ सहसंबद्ध करने के लिए किया जाता है। क्योंकि ऐसी अभिव्यक्ति ('सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला') एक सतत घटना को प्रतिबिंबित करती है, जबकि प्रवेश एक एक बार की घटना है, जिसके लिए इस अभिव्यक्ति ('सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला') का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

78. इस न्यायालय को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि शैक्षणिक योग्यता 'शैक्षणिक अर्हता' से संबंधित विज्ञापन में नोट त्रुटिपूर्ण रूप से तैयार किया गया है। यह संबंधित प्रावधान की दो व्याख्याओं का मामला नहीं है; यह ड्राफ्ट्समैन की चूक का मामला है। ड्राफ्ट्समैन की इस चूक का लाभ वे अभ्यर्थी

नहीं उठा सकते, जो अन्यथा पद के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं थे, क्योंकि उन्होंने आवेदन पत्र जमा करते समय अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं दी थी।

79. समूह 'बी' के याचिकाकर्ताओं के पक्ष में निर्णय करना ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय करने के समान होगा , जिन्होंने 22.10.2019 के विज्ञापन के अनुसार पद के लिए प्रयास नहीं किया था, क्योंकि वे अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए वे खुद को अयोग्य मानते हैं।

80. गौरतलब है कि चतुर्थ वर्ष (अंतिम वर्ष से पहले) का परिणाम 16.11.2019 को घोषित किया गया था, जबकि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 24.11.2019 थी। नियम 1963 के नियम 11 की स्पष्ट भाषा को देखते हुए, ऐसे सैकड़ों अभ्यर्थी हो सकते हैं जिन्होंने अंतिम वर्ष का परीक्षा फॉर्म जमा नहीं किया हो और पशु चिकित्सा अधिकारी पद के लिए आवेदन नहीं किया हो।

81. यह न्यायालय आयोग के उस रुख को स्वीकार करने में असमर्थ है, जो 1963 के नियम 11 के प्रथम प्रावधान में दिए गए प्रावधान के प्रतिकूल है। आयोग को ऐसा रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती जो नियम के स्पष्ट प्रावधान के विपरीत हो - ऐसा रुख जो ड्राफ्ट्समैन की गलती के कारण हुई 'गंभीर भूल' के कारण उत्पन्न असहजता से बचने के उद्देश्य से अपनाया गया है ।

82. कानून की यह स्थापित स्थिति है कि जब विज्ञापन की शर्तों और वैधानिक नियमों के बीच कोई विरोध होता है, तो नियमों में निहित प्रावधान ही मान्य होते हैं, न कि विज्ञापन की शर्तें। यह कानूनी प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मलिक मज़हर (उपरोक्त) और अशोक कुमार सोनकर (उपरोक्त) के मामले में याचिकाकर्ताओं (समूह 'क') के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत किया गया है।

83. इसके अलावा, आयोग का यह स्पष्ट रुख रहा है कि आवेदन करने के लिए पात्र होने के लिए उम्मीदवार को अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना चाहिए या शामिल हो रहा होना चाहिए, जैसा कि रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) के मामले में आयोग की ओर से उपस्थित हुए विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एन. कुमावत के निवेदन से यह प्रतिपन्न होता है। ।

84. जैसा कि रमेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) के निर्णय में उल्लेख किया गया है, आयोग के रुख को पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त होगा:

“आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एसएन कुमावत ने उप सरकारी अधिवक्ता के अलावा रिट याचिकाओं का विरोध किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता पशु चिकित्सा अधिकारी के पद के लिए चयन के पात्र नहीं थे। आवेदन की अनुमति उन अभ्यर्थियों को भी प्रदान की गई थी, जो अपेक्षित पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में उपस्थित हुए थे या हो रहे थे। । याचिकाकर्ताओं द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि

पर, वे न तो उपस्थित हुए और न ही अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो रहे थे। चौथे वर्ष की परीक्षा का परिणाम 17.5.2011 को घोषित किया गया था जो आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद का था। उपरोक्त के मद्देनजर, याचिकाकर्ताओं को वे उम्मीदवार नहीं कहा जा सकता है जो आवश्यक पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए थे या उपस्थित हो रहे थे, इसलिए उन्हें संबंधित पद के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।”

85. जयपुर स्थित न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त) और जोधपुर स्थित मनोज कुमार (उपरोक्त) के मामले में यह निर्णय दिया है कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्र माना जा सकता है जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या उपस्थित हो रहे हैं। इस न्यायालय द्वारा (क) रामेश्वर प्रसाद चौधरी (उपरोक्त), (ख) मनोज कुमार (उपरोक्त) और (ग) मनोज कुमार (उपरोक्त) के मामले में दिनांक 25.08.2017 को दिए गए खंडपीठ के निर्णय में दर्ज प्रासंगिक निष्कर्षों का पुनरुत्पादन प्रासंगिक होगा:-

“(क) उपरोक्त नियम को विधानमंडल द्वारा संशोधित किया गया था ताकि उन लोगों की कठिनाई को कम किया जा सके जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं या दे रहे हैं, लेकिन परिणाम घोषित होने में देरी के कारण, कुछ समय के अंतराल के बाद चयन परीक्षा या साक्षात्कार आयोजित होने के बावजूद, अयोग्य बने हुए हैं। यदि उपरोक्त उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए, तो यह

उन लोगों की रक्षा करता है जो अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके हैं या दे रहे हैं, लेकिन उन लोगों की नहीं जो समय के अंतराल के बाद अंतिम वर्ष की परीक्षा देंगे, जैसा कि वर्तमान मामले में है।"

"(ख) मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

भर्ती विज्ञापन का नोट क्रमांक 2, जो ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि पद के लिए अभ्यर्थी को योग्यता डिग्री के अंतिम वर्ष में उपस्थित होना चाहिए या उसमें उपस्थित होना चाहिए और केवल ऐसी स्थिति में, वह विज्ञापित पद के लिए आवेदन करने का हकदार होगा। बेशक, याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी 5 साल की योग्यता डिग्री कोर्स की चतुर्थ वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, जो वे भर्ती अधिसूचना जारी करने के समय कर रहे थे। नतीजतन, कल्पना के किसी भी दायरे में याचिकाकर्ताओं को विज्ञापित रिक्तियों के लिए भाग लेने के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय की माननीय जयपुर बेंच ने तथ्यों के एक बिल्कुल समान सेट की जांच की और 25.07.2016 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ताओं के समकक्ष स्थित उम्मीदवारों की रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। अतः याचिकाकर्ताओं के साथ भी समान रूप से व्यवहार किया जाना अपेक्षित है।

उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को प्रश्नगत भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से अयोग्य ठहराने में प्रतिवादियों की कार्रवाई को अवैध, मनमाना या विकृत नहीं कहा

जा सकता है, जिससे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के असाधारण रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

“(ग) हमें प्रस्तुत तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती।

जिस नोट पर अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता भरोसा कर रहे हैं, वह इस प्रकार है:

2. उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किन्तु उसे आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा अन्यथा वह अपात्र होगा।”

उपरोक्त नोट को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि दिनांक 02.05.2013 के विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बी.वी.एससी. के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हों अथवा अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित होने वाले हों। यह सच है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता संबंधित तिथि को बी.वी.एससी. के अंतिम वर्ष के छात्र नहीं थे, बल्कि चतुर्थ वर्ष के छात्र थे, इसलिए संबंधित नोट में उनका कोई उल्लेख नहीं था। अतः, आयोग ने अपीलकर्ताओं-याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी को अस्वीकार करना उचित ही समझा।

86. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में दर्ज निष्कर्षों, विशेष रूप से खंडपीठ द्वारा दिनांक 25.08.2017 के अपने निर्णय (पुनः मनोज कुमार (उपरोक्त)) में की गई चर्चा के अवलोकन से, यह स्पष्ट होता है कि पिछली भर्तियों में भी नोट

बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि वर्तमान मामले में उपलब्ध है। और ऐसे नोट पर विचार करते हुए, खंडपीठ ने निष्कर्ष निकाला है कि विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को बी.वी.एससी. की अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होना चाहिए था या शामिल होने वाले हैं।

87. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि 22.10.2019 के विज्ञापन में 1963 के नियमों का स्पष्ट उल्लेख है और उम्मीदवारों को नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए आगाह किया गया है। 1963 के नियमों के नियम 11 के प्रावधान में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन करने के पात्र हैं जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं या उपस्थित हो रहे हैं। ऐसी वैधानिक स्थिति और कानून की अनदेखी करते हुए, जैसा कि इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णयों में तय किया है, यदि उम्मीदवारों ने फिर भी आवेदन किया है और स्क्रीनिंग टेस्ट की प्रक्रिया पास कर ली है, तो उन्हें स्वयं को धन्यवाद देना चाहिए। इस न्यायालय के अनुसार, ऐसे उम्मीदवारों को संदेह का लाभ देना अनुचित सहानुभूति होगी।

88. राकेश बखशी (उपरोक्त) के मामले में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि के बाद निर्धारित योग्यता प्राप्त करता है, उसे योग्य नहीं माना जा सकता है और उसका आवेदन ही अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था।

89. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (उपरोक्त) मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जिसका हवाला श्री शाह (समूह 'बी' मामलों में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता) ने दिया था, उनके चयन को नहीं बचा सकता क्योंकि विज्ञापन की शर्तें ही दो व्याख्याओं के लिए खुली हैं और उसे ठीक से तैयार नहीं किया गया है। इसलिए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि शैक्षणिक योग्यता से संबंधित खंड में प्रयुक्त भाषा की परवाह किए बिना, केवल वे ही उम्मीदवार इस विषय की भर्ती अधिसूचना के अनुसार आवेदन करने के पात्र थे, जो अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए थे या उपस्थित हो रहे थे।

90. जिन अभ्यर्थियों ने बी.बी.एससी. पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में प्रवेश लिया था, लेकिन न तो अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए थे और न ही उन्होंने परीक्षा शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म भरा था, उन्हें 22.10.2019 के विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र नहीं माना जा सकता है।

91. इसके अलावा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई इस टिप्पणी के आलोक में कि प्रतिवादी नियुक्ति आदेश जारी कर सकते हैं, हालाँकि, ये अनंतिम होंगे और अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगे और इस न्यायालय द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1543/2020 में 23.07.2020 को पारित आदेश पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि समता के आधार पर भी, समूह 'बी' के

याचिकाकर्ता किसी भी छूट के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उनकी नियुक्ति अनंतिम थी/ हैं। 23.07.2020 का आदेश नीचे उद्धृत है:-

“इस बीच, प्रतिवादी दिनांक 22.10.2019 के विज्ञापन के अनुसार पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित कर सकते हैं, हालांकि, परिणाम और परिणाम वर्तमान रिट याचिका में पारित अंतिम परिणाम और/या आगे के आदेश के अधीन रहेंगे।”

92. उपरोक्त चर्चाओं के परिणामस्वरूप, समूह 'क' के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। आयोग द्वारा जारी की गई मेरिट सूची/चयन सूची, जिसमें उन अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है जो न तो बी.वी.एससी. की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए हैं और न ही 24.11.2019 (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि) तक परीक्षा फॉर्म जमा किया है, को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

93. आयोग को राज्य को अनुशंसा हेतु एक नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाता है, जो न तो बी.वी.एससी. की अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुए थे और न ही आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अर्थात् 24.11.2019 तक परीक्षा फॉर्म भरा था और न ही परीक्षा शुल्क जमा किया था। यह कार्य तत्काल आदेश की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर किया जाना आवश्यक है।

94. यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि समूह 'क' की रिट याचिकाओं की स्वीकृति के स्वाभाविक परिणाम के रूप में, समूह 'ख' के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाएँ विफल हो जाती हैं।

95. स्थगन आवेदन और अन्य सभी अंतरिम आवेदन भी निरस्त किए जाते हैं ।

(दिनेश मेहता), जे

1-5/अनिल मकवाना

"अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी अधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।"



Tarun Mehra

Advocate

